कार्यालय जिला पंचायत, चित्रकूट

पत्रांकः– 907 / जि0प0चि0 / खनन परि0 शु0 वसूली / 2019–20 दिनांकः– 14 फरवरी, 2020

खनिज परिवहन शुल्क वसूली हेतु ई–निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, चित्रकूट द्वारा जनपद चित्रकूट के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू , मोरम, रेत या अन्य खनिज के उदगम स्थलों जहाँ से गिटटी, पत्थर, बोल्डर, सुर्खी, चूना ,मस्सी, कोयला , बजरी , खारों से निकलने वाली मिटटी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में या ज़िले से बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहनो से उदगम स्थलों से परिवहन शुल्क / तहबाजारी वसूली सम्बन्धी ठेका / नीलामी वर्ष 2020–21 (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक) के लिये ई–निविदा दिनांक 03–03–2020 समय सायं 5.00 बजे तक ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। जिसके लिये टेण्डर फार्म ई–टेण्डरिंग पोर्टल **http//etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है, जो आन लाइन **http//etender.up.nic.in** पर दिनांक 17–2–2020 को सांय 5.00 बजे से दिनांक 03–03–2020 को सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। तकनीकी निविदा दिनांक 4–3–2020 को समयः 12.00 बजे तथा वित्तीय निविदा दिनांक 4–3–2020 को समय 1.00 बजे अपरान्ह कार्यालय जिला पंचायत, चित्रकूट के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। जो आनलाइन ई–टेण्डरिंग पोर्टल– **http//etender.up.nic.in** पर ही **uploaded/download/submit** की जा सकेगी। निविदादाता को टेण्डर फार्म मूल्य मु05250 / –रू0(पांच हजार दो सौ पचास रूपय मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) एंव ई–निविदा की जमानत धनराशि मु0 2500000 / –रू **(पच्चीस लाख रूपये)** के पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जो **"अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट"** के पक्ष में देय होगा, की स्कैन कांपी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति निविदा खोलने हेतु निर्धारित तिथि को निविदा खोले जाने से पूर्व नियत समय में कार्यालय में जमा करना अनवार्य होगा। निविदादाता को जिलाधिकारी स्तर से निर्गत वैध **चरित्र व हैसियत (पचीस लाख या उससे अधिक)** प्रमाण पत्र की स्कैन कांपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड की स्कैन कांपी ई–निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति निविदा खुलते समय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त ई–टेन्डर शर्ते ई–टेण्डरिंग पोर्टल– **panchayatiraj.up.nic.in** पोर्टल के लिंक **ctzp.uppr.gov.in** तथा **www.chitrakoot. up.nic.in** पर देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। शासनादेश संख्या–623 / 33–2–2018–114जी / 2008 टी0सी0 पंचायतीराज अनुभाग–2 दिनांक 15 फरवरी, 2018 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत खनिज परिवहन शुल्क / तहबाजारी मात्र खनिजों के उदगम स्थलों से बिना बैरियर लगाये वसूली की जायेगी, मार्गो पर किसी भी प्रकार की वसूली नही की जायेगी। खनन परिवहन शुल्क / तहबाजारी शुल्क वसूली हेतु खनिज उदगम स्थलों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	तहसील का नाम	खनिज उदगम स्थल
1	कर्वी	ग्रेनाइट 1–ग्राम गोंडा में 20 स्थानो पर, 2–ग्राम रौली कल्याणपुर में 11 स्थानो पर, 3–ग्राम नारायनपुर, 4–ग्राम रामपुर माफी, 5–ग्राम अकबरपुर । सैण्डस्टोन – 6–ग्राम तख्तूपुर में 2 स्थानों पर। बालू / मोरम 7–सांईपुर
2	मऊ	सिलिकासैण्ड 1–ग्राम मडहा, 2 सेमरा, 3–मुर्का, 4–बरगढ एवं गुइयांखुर्द।
3	मानिकपुर	सैण्डस्टोन 1–ग्राम चद्रांमारा, 2–सेमरिया, 3–ग्राम भौंरी एवं कौबरा में 2–2 स्थानों पर।
4	राजापुर	बालू / मोरम, 1–गडौली, 2–चांदी खादर,

(सुरेन्द्र कुमार वर्मा)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,चित्रकूट।

(मैना देवी यादव)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत,चित्रकूट।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. मा0 आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा ।
3. जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट ।
4. पुलिस अधीक्षक, जनपद चित्रकूट।
5. मुख्य विकास अधिकारी / मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट।
6. अपर जिला अधिकारी (वि0 / रा0), चित्रकूट।
7. उप जिलाधिकारी कर्वी / मऊ / राजापुर / मानिकपुर, चित्रकूट।
8. खान अधिकारी, चित्रकूट।
9. जिला पंचायत, चित्रकूट / कलेक्ट्रेट / विकास भवन / लोक निर्माण विभाग / ग्रा0अभि0सेवा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ कि उक्त ई–निविदा सूचना **www.chitrakoot.up.nic.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, कानपुर, दैनिक जागरण झांसी को इस आशय से कि उक्त विज्ञापन एक दिन के अंक में न्यूनतम स्थान में शासकीय दरों के अन्तर्गत प्रकाशित कर सूचना अधिकारी ,चित्रकूट से बिल प्रमाणित कराकर एवं समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, चित्रकूट

खनिज परिवहन शुल्क वसूली हेतु ई–निविदा नीलामी शर्ते वित्तीय वर्ष–2020–2021

1– खनन तहबाजारी उपविधि संख्या–2376/23 एल0बी0ए0 जो मा0 आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित शासकीय गजट 05 अक्टूबर,2013 से प्रभावी है। जिसके प्रस्तर 17 के अनुसार ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी जिसमें अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता तथा वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होगें।

2– खनन तहबाजारी ठेका निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को शासनादेश संख्या–819/33–2–2007–190 जी0/2007 दिनांक–10–4–2007 में निहित निर्धारित प्रारूप पर **चरित्र एंव हैसियत प्रमाण पत्र (पच्चीस लाख या उससे अधिक का)** जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत मूल प्रतियां (दो वर्ष के अन्दर निर्गत) निविदा/बोली के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3– वित्तीय वर्ष 2020–2021 हेतु प्रश्नगत ठेके का **शासकीय निविदा मूल्य रू0 मु01,20,00,000/–रू0 (एक करोड बीस लाख रूपये)** नियत है।

4– जिला पंचायत के किसी भी बकायेदार को नीलामी/ई–टेण्डरिंग बोली में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

5– टेण्डरदाता को टेण्डर फार्म मूल्य मु05250/–रू0(पांच हजार दो सौ पचास रूपय मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो **"अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट"** के पक्ष में देय होगा, की स्कैन कांपी को टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति निविदा खोलने हेतु निर्धारित तिथि को नियत समय से दो घण्टे पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

6– टेण्डरदाता को टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु **जमानत धनराशि मु02500000=00 रूपये (पच्चीस लाख रूपये मात्र)** का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो **"अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट"** के पक्ष में देय होगा, की स्कैन कांपी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति निविदा खोलने हेतु निर्धारित तिथि को नियत समय से दो घण्टे पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

7– उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 (यथा संशोधित) के नियम 54 में परिभाषित सम्बन्धियों को नीलामी/ई–टेण्डरिंग में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

8– टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने वाले टेण्डरदाता को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं **रू0 25,00,000/–(पच्चीस लाख या उससे अधिक का)** का हैसियत प्रमाण पत्र जो बोली दाता का स्वयं का हो तथा शासनादेशो के अनुरूप हो , देना अनिवार्य होगा। साथ ही पैन नम्बर एवं आधार कार्ड की सत्यापित प्रति तथा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 (यथा संशोधित) के नियम 54 में परिभाषित जिला पंचायत के पदाधिकारियों, सदस्यों एंव अधिकारियों के निकटस्थ सम्बन्धियों का न होने का 10 रू0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

9– सक्षम अधिकारी से ई–निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार को स्वीकृत पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो कि **"अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट"** के पद नाम से देय होगा , को कार्यालय जिला पंचायत , चित्रकूट में जमा कराते हुये निर्धारित दर के नानजज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। सम्पूर्ण धनराशि जमा न होने की दशा में बतौर जमानत धनराशि जब्त करते हुये द्वितीय ई–निविदादाता की निविदा धनराशि पर समिति द्वारा विचार करते हुये उसकी संस्तुति पर अगेतर कार्यवाही की जा सकेगी , जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

10– ठेकेदार को निर्धारित शुल्क के अनुसार ही वसूली करना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित दर से अधिक की वसूली नही करेगा।

11– शासनादेशानुसार उपरोक्त खनिज परिवहन करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली के लिये किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का बैरियर लगाये जाने को प्रतिबन्धित किया जा चुका है। अतएव शुल्क की वसूली खनिज स्थल के आस पास ऐसे स्थान पर नियत किये जायेगे जहां पर कि यातायात अवरूद्ध न हो। वसूली स्थल पर गाडियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नही किया जायेगा।

12– जिला पंचायत, चित्रकूट के किसी आदेश/निर्देश अथवा उपविधि/शर्तनामे के किसी धारा का उल्लघन करने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट की संस्तुति पर मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, चित्रकूट द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो दोनो पक्षो को मान्य होगी।

13– ठेकेदार वसूली स्थल पर सहज दृश्य स्थान पर एक 6 फीट X 4 फीट का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा। इस रेट बोर्ड पर वसूली स्थल का नाम , ठेकेदार का नाम व पता एवं ठेके की अवधि तथा ठेकेदार का मोबाइल नं0 स्पष्ट लिखना अनिवार्य होगा।

अपर मुख्य अधिकारी

14— ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटो युक्त पहचान पत्र जारी कराया जायेगा जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

15— समय—समय पर राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत स्तर से जारी आदेशों/निर्देशो का पालन करना सर्वोच्च टेण्डरदाता की बाध्यता होगी।

16— नीलामी/ई—निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत, चित्रकूट में निहित होगा।

17— वर्ष 2020—21 हेतु उपरोक्त खनिज परिवहन शुल्क वसूली हेतु खान अधिकारी, चित्रकूट के पत्रांक 470/खनिज/2019—20 दिनांक 7—2—2020 में अंकित खनिजों के उद्गम स्थलों से जिनका विवरण निम्नवत् है से उपविधि में स्वीकृत दरों से अनुमन्य वाहनो से की जायेगी। वसूली हेतु खनिज उद्गम स्थलों का विवरण निम्नवत् है:—

क्र0सं0	तहसील का नाम	खनिज उद्गम स्थल
1	कर्वी	ग्रेनाइट 1—ग्राम गोंडा में 20 स्थानो पर, 2—ग्राम रौली कल्याणपुर में 11 स्थानो पर, 3—ग्राम नारायनपुर, 4—ग्राम रामपुर माफी, 5—ग्राम अकबरपुर । सैण्डस्टोन — 6—ग्राम तरुतपुर में 2 स्थानों पर। बालू/मोरम 7—सांईपुर
2	मऊ	सिलिकासैण्ड 1—ग्राम मडहा, 2 सेमरा, 3—मुर्का, 4—बरगढ एवं गुइयांखुर्द।
3	मानिकपुर	सैण्डस्टोन 1—ग्राम चद्रांमारा, 2—सेमरिया, 3—ग्राम मौरी एवं कौबरा में 2—2 स्थानों पर।
4	राजापुर	बालू/मोरम, 1—गडौली, 2—चांदी खादर,

18— उपविधि में प्राप्त अधिकार अथवा शासन से प्राप्त मार्गदर्शन/निर्देशन के अनुसार स्थल बदलने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट का होगा। उपरोक्त स्थानो के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर वसूली नही की जायेगी।

19— आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा द्वारा अनुमोदित उपविधि की धारा 6 के अन्तर्गत बालू, मोरम, गिट्टी, बोल्डर, पत्थर, सुर्खी, चूना, भस्सी एंव कोयला परिवहन करने वाले वाहनो से शुल्क वसूली सम्बन्धी दरें निम्नवत् है:—

1.पशुओं के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी	10 रू0 प्रति फेरी
2.मानव चालित नाव	20 रू0 प्रति फेरी
3.ट्रैक्टर ट्राली	50 रू0 प्रति फेरी
4.ट्रक:—	
(क)मिनी ट्रक (लाइट गुडस विहिकिल्स)	100 रू0 प्रति फेरी
(ख)ट्रक (लाइट गुडस विहिकिल्स 6 चक्का)	150 रू0 प्रति फेरी
(ग)भारी ट्रक (हैवी गुडस विहिकिल्स 10 चक्का या अधिक)	200 रू0 प्रति फेरी

खनन तहबाजारी शुल्क वसूली की उक्त निर्धारित रेट सूची सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित/ उपयुक्त वसूली स्थानों पर सार्वजनिक हेतु चस्पा/लटकाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में वांछित रेट धनराशि अर्थदण्ड सहित जो मु01000=00 रूपये तक की वसूली अर्थदण्ड के रूप में की जायेगी।

20— ई—निविदा में भाग लेने हेतु निविदादाता को किसी भी मान्य एजेंसी से डिजिटल सिग्नेचर स्वतः बनवाना होगा।

21— खनन तहबाजारी ठेका शुल्क वसूली हेतु जनपद चित्रकूट के अन्तर्गतशासनादेश संख्या—623/33—2—2018—114जी/2008टी0सी0 दिनांक 15 फरवरी, 2018 के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग ,राष्ट्रीय मार्ग , मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर लगाकर अथवा किसी भी प्रकार व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गो पर वसूली नही की जायेगी। वसूली केवल खनन उद्गम स्थलो के निकट ही अनुमन्य वाहनों से निर्धारित दरों पर की जायेगी।

22— सशर्त ई—निविदा मान्य नही होगा।

23— निविदादाता के सम्बन्ध में यदि भविष्य में भी यह संज्ञान में आता है कि आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्य एंव संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, तो आपकी ई—निविदा/किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

24—ठेकेदार की हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2020—21 की वैधता हेतु वैध अनिवार्य होगा।

25—ठेकेदार द्वारा जिला पंचायत,चित्रकूट से खनिज वसूली की रसीदें प्राप्त करना अनिवार्य होगा, बाहर की रसीदें मान्य नही होगी। उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसके सम्बन्धित ठेकेदार व्यक्तिगत जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त 01 लगायत 25 शर्ते निविदादाता को मान्य होगी।

मैनादेवी

(सुरेन्द्र कुमार वर्मा)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,चित्रकूट।

Bhagat S.C. 14/2/2020
अभियन्ता
जि० पंचायत चित्रकूट

(मैना देवी यादव)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत,चित्रकूट।